

न्यूज ब्रीफ

निर्माण

सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में पेंशन अदालत 16 को
अमृत विचार, सरोजीनगर:
सरोजीनी नगर के बिजनौर
स्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
(सीआरपीएफ) ग्रुप केंद्र परिसर
में आगामी 16 नवंबर को 11:30
बजे पेंशन अदालत - 2025 का
आयोजन किया जाएगा। इह जनकारी
सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र बिजनौर के उप
कामांडेट (प्राकाश) प्रवीप कुमार पांडे
ने दी। उन्होंने बताया कि यह पेंशन
अदालत शहीद व मृकू कार्मिकों
के आवितों तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों
के कार्यालय के लिए आयोजित की
जा रही है। उन्होंने बताया कि भरत
सरकार के पेंशन पर पेंशनर्स कार्यालय
विभाग, नई दिल्ली तथा सीआरपीएफ
महानिदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के
क्रम में यह आयोजन किया जा रहा है।



समतामूलक से निशातगंज मार्ग व निशातगंज से हनुमान सेतु तक ग्रीन कॉरिडोर का कार्य अंतिम चरण में है। डिवाइडर पर पुताई करने में मजदूर व्यस्त हैं। सड़क के दोनों ओर की गई चिक्कारी बन रही है लोगों के आकर्षण का केन्द्र।

● प्रगति शर्मा

'ओवरब्रिज' बना ट्रांसपोर्ट और निजी वाहनों का 'पार्किंग स्थल'

पुल से नीचे उतरते ही गाड़ियों की मरम्मत की दुकानें, किसी दिन हो सकता है हादसा



हुसैनगंज राणा प्रताप चौहान से ऐश्वर्या जाने वाले पुल के किनारे खड़े वाहन।

नीरज मिश्र, लखनऊ

● हादसा होने के इंतजार में

प्रश्नानन्, नहीं कर रहा कार्याई

इसे 'अवैध पार्किंग' में तब्दील कर दिया है।

दरअसल इसका एक छोर डोरीवी कॉलेज के पास से शुरू होता है तो तो दूसरा छोर हुसैनगंज इलाके में खुलता है। ओवरब्रिज होने कारण इस पर तो पुल पर घुसने वाले वाहनों से टकरा सकते हैं।

दूसरा छोर हुसैनगंज की ओर उत्तर रुद्ध पुल पर

कि लालकुञ्ज के पास ओवरब्रिज के छोर पर दूर तक ट्रांसपोर्ट और निजी वाहनों की पार्किंग नजर आयी। यह कोई पार्किंग स्थल नहीं है लेकिन

दुसैनांज झेत्र के जिम्मेदार पुलिस के

ओहदारों की लापरवाही से लोगों ने

एक बड़े हिस्से पर इन्हीं का बजा

पति समेत चार पर दहेज हत्या का केस

अतीतीली, हरदोई, अमृत विचार।

शुक्रवार की शाम के अतीतीली थाना

क्षेत्र के गाँव तुलसीपुर मरवा भारतवन

में विवाहिता का शाव फंदे से लटका

मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम

के लिए भर्जते हुए मृतका के पिता की

तहरीर पर पति, सास, ससुर, ननद

पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज

कर ली है। मृतक के पिता दिनेश

कुमार पाल वारी गढ़ियाखेड़ा

मजरा साड़ा दखिलौल ने बताया कि

बेटी मनीषा देवी (25) को शादी

लवलेश पाल निवासी तुलसीपुर

मजरा भारतवन के साथ 10 फवरी

2022 की की थी। बताया कि उसने

15 दिन पूर्व अपनी छोटी रंजना पाल

की शादी तय कर दिया, उसको दहेज

के रूप में चार पहिया वाहन देना

सुनिश्चित कर दिया। मृतक के पति

लवलेश, ससुर रामदत पाल, सास

गुलाबा, ननद रुबी पाल निवासीगण

तुलसीपुर थाना अतीतीली सब दहेज

में चार पहिया वाहन न मिलने के

कारण शुक्रवार की शाम बेटी मनीषा

देवी को जान से मारकर चंखा में

पीटा गया। मृतक के डेढ़ वर्ष की

बेटी मन्दा नहीं है।

सेविका को नियमित रूप से नियमित

करने की वादी जाने वाले वाहन

की ओर आयोजित किया गया।

पति समेत चार पर दहेज हत्या का केस

अतीतीली, हरदोई, अमृत विचार।

शुक्रवार की शाम के अतीतीली थाना

क्षेत्र के गाँव तुलसीपुर मरवा भारतवन

में विवाहिता का शाव फंदे से लटका

मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम

के लिए भर्जते हुए मृतका के पिता की

तहरीर पर पति, सास, ससुर, ननद

पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज

कर ली है। मृतक के पिता दिनेश

कुमार पाल ने शव को भर्जते हुए

मृतक की ओर आयोजित किया गया।

पति समेत चार पर दहेज हत्या का केस

अतीतीली, हरदोई, अमृत विचार।

शुक्रवार की शाम के अतीतीली थाना

क्षेत्र के गाँव तुलसीपुर मरवा भारतवन

में विवाहिता का शाव फंदे से लटका

मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम

के लिए भर्जते हुए मृतका के पिता की

तहरीर पर पति, सास, ससुर, ननद

पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज

कर ली है। मृतक के पिता दिनेश

कुमार पाल ने शव को भर्जते हुए

मृतक की ओर आयोजित किया गया।

पति समेत चार पर दहेज हत्या का केस

अतीतीली, हरदोई, अमृत विचार।

शुक्रवार की शाम के अतीतीली थाना

क्षेत्र के गाँव तुलसीपुर मरवा भारतवन

में विवाहिता का शाव फंदे से लटका

मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम

के लिए भर्जते हुए मृतका के पिता की

तहरीर पर पति, सास, ससुर, ननद

पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज

कर ली है। मृतक के पिता दिनेश

कुमार पाल ने शव को भर्जते हुए

मृतक की ओर आयोजित किया गया।

पति समेत चार पर दहेज हत्या का केस

अतीतीली, हरदोई, अमृत विचार।

शुक्रवार की शाम के अतीतीली थाना

क्षेत्र के गाँव तुलसीपुर मरवा भारतवन

में विवाहिता का शाव फंदे से लटका

मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम

के लिए भर्जते हुए मृतका के पिता की

तहरीर पर पति, सास, ससुर, ननद

पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज

कर ली है। मृतक के पिता दिनेश

कुमार पाल ने शव को भर्जते हुए

मृतक की ओर आयोजित किया गया।

पति समेत चार पर दहेज हत्या का केस

अतीतीली, हरदोई, अमृत विचार।

शुक्रवार की शाम के अतीतीली थाना

क्षेत्र के ग



लोक दर्पण

मजदूरों का भविष्य और नए श्रम कानून

व्याहारिक जीवन



आलोक तिवारी

वरिष्ठ प्रकार, लखनऊ

पांच साल से ज्यादा की प्रक्रिया के बाद भारत ने चार नए श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। ये संहिताएं 29 पुराने कानूनों को समाप्त कर देंगी, जो ब्रिटिश काल से लेकर यूपीए सरकार तक फैले हुए थे। सरकार का कहना है कि ये सुधार मजदूरों की औपचारिकता, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। एक ऐसा कदम, जो कृषि कानून सुधारों की तरह राजनीतिक विरोध का शिकाह हो रहा है, लेकिन वास्तव में मजदूरों के लंबे समय से लंबित हितों को मजबूत करेगा। मेरी राय में, ये संहिताएं कुछ चुनौतियां लाती हैं, लेकिन कुल मिलाकर सरकार की दृष्टि से मजदूरों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। नियोक्ताओं को लचीलापन देकर रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है, जबकि पुराने कानूनों की जटिलताओं को दूर करती है।

आइए, तथ्यों और कानूनी आधार पर नजर डालते हैं।

व्याहारिक जीवन

श्रम समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्यों को समन्वय नियम बनाने पड़ते हैं। केंद्र ने 2020 में ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए थे, लेकिन जुलाई 2025 तक कुछ राज्य जैसे परिचम बंगल और लक्ष्मीपुर पिछड़ गए। दिल्ली और तमिलनाडु ने भी कुछ संहिताओं में दीरी की। सरकार का मानना है कि ये दीरी मुख्य रूप से राज्यों की सुरक्षा से हुई, लेकिन अब केंद्र की सक्रियता से प्रक्रिया तेज हुई है—एक उदाहरण कि कैसे केंद्र 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत पर चल रहा है।



प्रग्राम बदलाव: मजदूरों के लिए अवसरों का विस्तार

- सरकार का दावा है कि ये संहिताएं रोजगार को औपचारिक बनाएंगी, सामाजिक सुरक्षा का वित्तार करेंगी और अनुपालन को सरल करेंगी, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के मानकों से मेल खाते हैं।
- मुख्य फीचर्स:** अनिवार्य नियुक्ति पत्र इस कानून के बाद सभी नियोक्ताओं को सभी मजदूरों को अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र देना होगा, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
- गिरा वर्कर्स को सुरक्षा:** उबर, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ईपीएफ, ईएसआई और दुर्घटना बीमा का प्रावधान एक सकारात्मक कदम है, जो 40 करोड़ असंगठित मजदूरों चल रहा है।



ट्रेड यूनियनों का विरोध: राजनीतिक या पुरातन



बीएमएस को छोड़कर कुछ केंद्रीय ट्रेड यूनियन (INTUC, AITUC, CITU आदि) इनका विरोध कर रही है, 2019 से 2025 तक हड्डाले कर। उनका तर्क है कि राज्य के न्यूनतम वेतन के अधिकार छीने जा रहे हैं, हड्डाल पर 14 दिनों का नोटिस और यूनियन पर सीमाएं लादी जा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये प्रावधान पुराने कानूनों को दूर करते हैं और हड्डाल का अधिकार बरकरार है—बस पारदर्शिता बढ़ाई गई है। कृषि सुधारों की तरह, ये विरोध राजनीतिक लगते हैं, हैं। जबकि संहिताएं मजदूरों को ई-श्रम पोर्टल और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) जैसी सुविधाओं से जोड़ती हैं। महिलाओं की रात शिफ्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान अनुच्छेद-42 (मानव राहत) के अनुरूप ही हैं।

प्राइवेट मेंबर बिल ने बढ़ा दी श्रमिक कानूनों पर चर्चा

इसी बीच संसद में एनसीपी संसद सुप्रिया सुले ने श्रमिकों को छुट्टी और व्यक्तिगत जीवन में तारतम्य से संबंधित एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है और इस बिल की बहुत चर्चा भी हो रही है। यह बिल सवाल खड़े करता है कि क्या श्रमिकों की 8–10 घंटे की नौकरी सब्स में 8–10 घंटे तक रह गई है? या फिर वाट्सएप, ई-मेल और जूम मीटिंग्स ने कर्मचारियों को चौबीस घंटों का मजदूर बनाकर रख दिया है?

इसी बीच संसद में एनसीपी संसद सुप्रिया सुले ने श्रमिकों को छुट्टी और व्यक्तिगत जीवन में तारतम्य से संबंधित एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है और इस बिल की बहुत चर्चा भी हो रही है। यह बिल के बाद या छुट्टियों में ऑफिस से आए फोन कॉल, ई-मेल या मैसेज का जवाब देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य न हो अर्थात उन्हें स्वतंत्रता हो कि वे अपनी छुट्टी के समय या ऑफिस के बाद के अपने पारिवारिक व्यक्तिगत समय में कार्य या संदेश ग्रहण इसके लिए उनके

प्रसारण को संतुष्ट करता है। इसके तहत एक Employees Welfare Authority बनाने का प्रस्ताव भी है।

यह बिल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल दौर ने "ऑफिस" और "निजी जीवन" की सीमा लगभग मिटा दी है। आज का कर्मचारी नींद की कमी में जी रहा है, ताकि काम कर रहा है और परिवार के बीच होते हुए भी अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि उससे हर समय ऑन-डियूटी रहने की अपेक्षा की जाती है। कई कर्मचारी ऑफिस समय के घंटों बाद भी काम से जुड़े रहते हैं। नीजा मानसिक थकावट, बर्न-आउट, पारिवारिक



व्याहारिक जीवन

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडिविया ने 21 नवंबर को घोषणा की कि चार संहिताएं जल्द ही रूपरेखा में लागू हो जाएंगी:

- वेतन संहिता, 2019
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 (OSHWC)



को जोड़ेगा। ये संहिताएं संविधान के अनुच्छेद-43 (जीविका मजदूरी) और अनुच्छेद-39 (समान वेतन) के अनुरूप हैं, जो मजदूरों के हितों की रक्षा करते हैं।

■ **राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम श्रम वेतन:** कोई राज्य केंद्र द्वारा निर्धारित मजदूरी दर से कम नहीं दे सकेगा। हाँ उससे ज्यादा दे सकते हैं और वेतन निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 7 तारीख तक देना होगा, जो क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करेगी। अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसे सुधार उत्पादकता बढ़ाते हैं और औपचारिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करते हैं।

■ **महिलाओं के लिए खुला द्वार:** महिलाओं को रात की शिफ्ट और सभी कामों (खदान सहित) में समान भागीदारी का रास्ता ही नहीं खोलता है, समान वेतन की बात भी करता है और ट्रांसजेंडर भेदभाव पर रोक लगता है, जो महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को बढ़ाएगा, जैसा कि मानवत्व लाभ संशोधन-2017 में 26 सप्ताह की छुट्टी देने से परिलक्षित हुआ था। महिलाओं से भेद-भाव पर 50,000 रुपये का जुर्माना।

■ **वेसिक वेतन कल CTC:** का कम से कम 50 प्रतिशत देना होगा। इससे पीएफ/प्रेयर्टी की राशि बढ़ेगी, लेकिन घर ले जाने वाले वेतन में कमी आएगी। सरकार का तर्क है कि इसके द्वारा वह लंबे समय में रिटायरमेंट सुरक्षा मजबूत करना चाहता है, क्योंकि पीएफ और प्रेयर्टी की राशि बढ़ेगी।

■ **छोटी इकाइयों (300 से कम मजदूर):** जो 300 से कम संख्या वाले संस्थान में काम करेंगे, वे न्यूनतम वेतन, सुरक्षा और सामाजिक लाभ से वंचित रह जाएंगे। आलोचना है कि ये संहिताएं असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बनाने की बाजाय अनुपचारिकता को बढ़ावा देंगी।

■ **कानूनी आधार पर:** ये संहिताएं राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) की सिफारिशों पर आधारित हैं, जो 4-5 कोड बनाने का सुझाव देती थीं। आंकड़ों से, ईएसआईसी का विस्तार 566 से 740 जिलों तक हुआ है और सदस्यता 13.5 करोड़ से 50 करोड़ तक बढ़ी है—ये सुधार मजदूरों को वास्तविक लाभ पहुंचाएंगे। फैक्ट्री लाइसेंस की थ्रेशोल्ड बढ़ाने से छोटी इकाइयों को राहत मिलेगी, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे करोड़ों मजदूर न्यूनतम वेतन और सुरक्षा के दायरे में जा जाएंगे, जिससे ठेके मजदूरी को विनियमित कर फिल्स्ट-टर्म कर्मचारियों को स्थायी लाभ के अवसर मिल पाएंगे। कुल मिलाकर, ये बदलाव नियोक्ताओं के लिए आसानी लाते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का जाल भी बिछाते हैं—खासकर जब 50 करोड़ मजदूरों के कवर किया जाएगा, जिसमें 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र शामिल है।

नियोक्ताओं की प्रतिक्रिया


बड़ी कंपनियों के संगठन जैसे CII और FICCI ने इनका जोरदार समर्थन किया है। CII के निवाचित अध्यक्ष आर. मुकुदन का कहना है कि ये कानून श्रम क्षेत्र की जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे, विवाद कम करेंगे और ज्यादा नियोक्ता आसानी से अप्रतिक्रिया करेंगे। आधारित विकास को गति देगा।

एम-एस-एमई संगठन नियति है कि परिचालन खर्च 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, लेकिन सरकार अवस्था परिवर्तनकालिक राहत और कम जुर्माने की दिशा में काम कर रही है। मेरी दृष्टि से, एम-एस-एमई की चिंता जायज है, लेकिन ये संहिताएं लंबे समय में छोटे व्यवसायों को भी मजबूत करेंगी, क्योंकि अनुपालन सरल होगा और 'इंस्पेक



यह दौर वैचारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संक्रमण का है, जहां पारपरिक संस्थाएं नए प्रश्नों और चुनौतियों के समाने खड़ी हैं। इन्हीं चुनौतियों के केंद्र में है विवाह संस्था, जिसे लेकर आज बहस्ते तेज हो रही है। एक ओर बदलाव की अनिवार्यता है, तो दूसरी ओर उन मूल्यों की रक्षा का आग्रह, जिन पर समाज की संरचना खड़ी है। स्त्री-पुरुष संबंधों, स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की नई व्याख्याएं सामने आ रही हैं,

पर इनके बीच एक वर्ग ऐसा भी है, जो परंपरागत मान्यताओं को खारिज करते हुए विवाह जैसी संस्था पर सीधे प्रहार करने को ही समाधान मान रहा है। यह दृष्टि न केवल सामाजिक समरसता को चुनौती देती है, बल्कि परिवार, संबंध, उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक धुरी को भी हिलाती है। समय के साथ विवाह संस्था में कई खामियां पैदा हुई हैं, जिनका मुख्य भार स्त्रियों ने उठाया है, लेकिन समाधान संस्था को तोड़ने में नहीं, बल्कि उसके सुधार में निहित है। शिक्षा, समानता, सुरक्षा, भागीदारी और गरिमा-ये स्वरूप संरचना खड़ी हो सकती हैं। अतः आवश्यकता प्रहार की नहीं, बल्कि एक विचार की है, जो समाज, संस्कृति और मानवीय चले।



वर्षमान दौर परिवर्तन और उथल-पुथल का दौर है। इस परिवर्तन दौर में हमारे मूल्यों, मान्यताओं, संवेदनाओं और अनुभूतियों में तेज़ी से बदलाव हो रहा है। बदलाव में तारतम्यता, बोध और लयबद्धता से इन विचारों और भटकाव को प्रकृति अधिक दिखाइ देती है और इस विचार व भटकाव को समाज का एक वर्ग भरपूर आश्रय दे रहा है।

विचारकाल से हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था प्रेम, विवाह, सहयोग, शृणुता के जिन आधार स्वरूपों पर टिकी हुई हैं। एकाएक उनसे विद्वान् और विमुखता के स्वरूप एक वर्ग से उठने लगे हैं। पाश्चात्य मानकों और संस्कृति में रंगा यह वर्ग, विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं को स्त्री की स्वतंत्रता, समानता और कैरियर में ऊंची उड़ान के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त मानते हुए। हर रूप से अपनी आवाज बुलाव कर सहचर्य के आधुनिक रूप लिव-इन-रिलेशनशिप, यौन संबंधों में खुलापन, अश्वील आंदोलन जहां वस्त्रों के साथ भी निर्वस्त्र होने की कल्पना को तेज पर स्वयं के अधिकार और स्वतंत्रता के नाम पर खुलेआम पोरस रहे हैं।

यह दौर सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों के संक्रमण का दौर है, जहां आधिकारिक स्वतंत्रता और अधिकारों का सामाजिक मान्यताओं, नैतिकता और स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों से सीधा टकराव हो रहा है। और इस नवीन परिवृश्य में राज्य और न्यायकारी संस्थाओं द्वारा न्याय, नैतिकता और उत्तरदायित्व की समस्याओं के समाधान के रूप में लिव-इन-रिलेशनशिप, विवाह पूर्ण यौन आचरण की वैधता के संदर्भ में नए-नए कानून निर्मित करने की विवर्तनी भी है। जब कोई संस्था या सामाजिक व्यवस्था बनाई जाती है और उसके इन्डिगिट नियमों और मूल्यों का ताना-बाना बना जाता है, तो उसके उद्देश्य वर्तमान और भवित्व की बेतरी ही होता है, परंतु समय के साथ व्यवस्था में खामियों के फलस्वरूप व्यवस्था के प्रति अस्तोष और अविश्वास जैसे तत्व भी अपनी जगह बनाने लगते हैं, जो विवाह रूपी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के साथ हुआ।

संबंध की जो कल्पना और सामाजिक सांस्कृतिक विकास की जो भावना इस संस्था के माध्यम से की गई थी, वह प्रित्यस्तात्मक व्यवस्था की पोषक मात्र बनकर रह गई है। संविधान, कानून, न्यायिक अवधारणाओं और सिक्षा के प्रचार-प्रसार से स्थितियों कापी बदल रही है और यह बदलाव धीरे-धीरे इसी संस्था में महिलाओं की स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता और सह-अस्तित्व की गारंटी भी दे रहा है।



शोषण, दमन और अत्याचार

- शोषण, दमन और अत्याचार यद्यपि अब भी विद्यमान हैं, परंतु अब स्त्री के साथ-साथ पुरुषों के प्रति भी दिसा और असहयोग जैसी भावनाएं बढ़ रही हैं।
- विवाह के विकल्प के रूप में जिस लिव-इन व्यवस्था की पैरवी छाया नारीवादियों द्वारा की जा रही है। वह उत्तरदायित्वपूर्ण सहचर्य की ओर पलायन मात्र है, जिसका दुष्प्रिणाम महिलाओं और बच्चों के मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक और सांस्कृतिक पतन के रूप में आएगा।
- जब-जब समाज और संस्कृति पतन की ओर उन्मुख होती तब-तब कला, साहित्य, सुजन और संभावनाएं भी अधिमुखी गति करेंगी।
- स्त्रियों की शारीरिक संत्वना से संबंधित साधन और सुविधाओं के विषयों को पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर सोशल मीडिया रूपी चौराहे पर निवृत्त करता कहाँ से भी नारीवाद नहीं है, अपितु नारीवाद की आड़ में अपनी दीमत अधिव्यक्तियों, कुंठाओं और निराशा को व्यापक वर्ग की समस्या बनाकर स्त्रियों और पुरुषों के मध्य बारीक शिष्ट

आवरण को निर्वस्त्र करने जैसा है, जिसे एक अतिवादी वर्ग द्वारा भरपूर आश्रय दिया जा रहा है।

■ नारी की स्थिति में यदि वाकई सुधार के पक्षधर हैं, तो नारी की शिक्षा, स्वावलंबन और सुरक्षा की गारंटी हेतु आंदोलन कीजिए।

■ पुरुषवादी व्यवस्था के वर्चस्व के विरुद्ध परिवार व वैवाहिक संस्था में महिलाएं के नियम में भागीदारी, बराबरी, गरिमा और समान की वकालत कीजिए। उन कानूनों और नियमों को लागू करने की मांग कीजिए, जो सामाजिक कुरियों, परंपराओं और अंधविश्वास के कारण उस रूप में लागू नहीं हो पा रही है, जिस रूप में वह लागू होनी चाहिए।

■ सार्थक नारीवाद उसके गरिमामय जीवन, हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी और उसके भावनाओं की स्वीकृति की मांग करता है न की नग्न भोगवादी संस्कृति की मांग करता है।

■ छाया नारीवाद और भोगवादी संगठनों के अनिवार्य प्रहार भी तब तक विवाह रूपी संस्था को जर्जर नहीं कर सकते जब तक स्त्रियों में प्रेम, संवेदनशीलता, सहजता, सुकोमल भावनाएं और सहयोग की भावनाएं व्याप्त रहेंगी।

सर्दियों में बालों को खुशबूदार बनाने का आसान उपाय : हेयर परफ्यूम



हेयर परफ्यूम लगाने का सही तरीका

- स्प्रे बोतल को बालों से 6-8 इंच दूर रखें।
- हल्का से करे ताकि खुशबूदार समान रूप से फैले।
- जड़ी पर से न करें, बालों की शीश की लाईंड और सिरों पर से करना अधिक प्रभावी होता है।
- यह तरीका बालों को भरी होने से बचाता है और इसके प्रति अस्तोष और अविश्वास जैसे तत्व भी अपनी जगह बनाने लगते हैं, जो विवाह रूपी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के साथ हुआ।

स्टोरेज और उपयोग की सावधानियां

- हेयर परफ्यूम को हेमेशा किसी सूखी और ठंडी जगह पर रखें।
- इसे आप के साथ ताह कर आराम से रोटर कर सकती है।
- स्त्रियों में ठंडे मौसम के कारण यह मिश्रण और भी अधिक समय तक टिक सकता है।

घर पर बनाए सुरक्षित और हर्बल हेयर परफ्यूम

बाजार में से कई बारे में सर्वांग बाली बालों को दिया जाता है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसकी खुशबूदारी परिपूर्ण की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका अत्यधिक उपयोग की जाती है। ठंडी तरह जैसे अप चर्चर पर परफ्यूम लगानी है, उत्तर द्वारा दियाई दी जाती है। हेयर परफ्यूम बालों को खुशसूती देता है और उसका उपयोग बालों को लगाने के लिए भी सुरक्षित है।

गुलाब की खुशबूदार बालों के हेयर परफ्यूम

इस होममेड हेयर परफ्यूम से बालों में गुलाबों की रोमांटिक और मनमोहक खुशबूदार होनी चाही जाती है। इसका उपयोग बालों की सुखाई के लिए भी उपयोग किया जाता है।

बालों की विधि:

- 2 चम्पच गुलाब का तेल
- 1 चम्पच जोगीबा और ऑयल
- 5 चम्पच गुलाब जल

इन सभी को स्पैष बोतल में डालकर अच्छी तरह मिश्रण कर लें। पार्टी में जाने से पहले हल्का से करें। इससे बालों में ताजी, सुखाई और पोषण तीनों मिलते हैं।

गुलाब जल और विच हेजल स्प्रे

यदि आप हल्की और ताजी खुशबूदार परफ्यूम का चाहते हैं, तो यह परफ्यूम बेहतरीन है।

विधि:

- आप हल्का गुलाब जल
- 1 चम्पच एलोवेरा जल (हल्का लैंडेंट किया हुआ)
- 10 बूटे लैंडेंट एसेंशियल ऑयल
- 10 बूटे जैस्मिन एसेंशियल ऑयल

सब कुछ अच्छी तरह मिश्रण कर लें। यह मिश्रण बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है।

गुलाब जल और विच हेजल स्प्रे

यदि आप हल्की और ताजी खुशबूदार परफ्यूम का चाहते हैं, तो यह घर पर बना परफ्यूम शानदार है।

विधि:

न्यूज ब्रीफ

इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया

रांची। इक्सरुंडे में रोधी हवाई अड्डे पर इंडिगो के एक विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम की 7:30 बजे तक हुई, जब भूमिशर रोधी आया विमान हवाई एप्रेल तक रहा था। विमान में कीरीब 20 यात्री थे। रोधी हवाई अड्डे के निदेशक निवेद कुमार ने बताया कि उसे एक विमान का समय विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया।

गुजरात में पुलिस पर हमला, 47 घायल

बानासकांठ। गुजरात में बानासकांठ जिले के पड़लिया गांव में शनिवार को 500 लोगों की भीड़ द्वारा किए गए हमले में पुलिस, वन और राजसविभागों के कम से कम 47 अधिकारी घायल हो गए। घायलों में से 36 को अबाजी सिंह लाल अस्पताल में भीती कराया गया, जबकि 11 को हेलिकॉप्टर द्वारा नियामन पुलिस एप्रेल टेल ने बदले के कारणों का खुलासा नहीं किया। यह दूसरी स्थान दंत तालुका में स्थित है, जो तीथेश्वर अबाजी से 14 किलोमीटर दूर है। बानासकांठ के जिलाधिकारी पिंडित पटेल ने बताया कि यह घटना अपराह्न 4 बजे तक हुई जब अधिकारियों की टीम ने विभाग के सर्वे नवर ना क्षेत्र में पौधरापण कर रही थी।

कोशिकोड में विस्फोट में दो युवकों की मौत

कोशिकोड के केरल के कोशिकोड में शनिवार शाम की निकाय चुनावों से संबंधित विजय यात्रा के दौरान बालुसरेरी और मलापारम्परा में जो घोरकाम में हुए विस्फोटों में कायेस के नेतृत्व लाल से खुलासा आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है।

चीता के पी-2 को वापस कूनो पहुंचाया

बारा। मध्य प्रदेश के कूनो के जगतों से निकलकर दो सपाह पहले राजस्थान के बाग जिले की सीमा में आये अपीली की नीति पी-2 को कूनो से आया विशेष दल ट्रॉपिकल जंगल उपर विकास को संवर्धित करते हुए माओवादियों से अनुभव किया गया है। बारा शाँड़ों के विवेकानन्द के लिए एक स्कूटर विकास को संवर्धित करते हुए एक अद्वितीय विकास को आयोजित किया गया है। बारा शाँड़ों के विवेकानन्द के लिए एक स्कूटर विकास को संवर्धित करते हुए एक अद्वितीय विकास को आयोजित किया गया है।

दिल्ली में हाइब्रिड मोड में चलेंगी कक्षाएं

नई दिल्ली, एजेंसी

50 प्रतिशत कर्मचारी घर से करेंगे काम

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बिंगड़ी वायु गुणवत्ता के मद्देनजर सभी स्कूलों को कक्षा नौवीं और 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 'हाइब्रिड मोड' में कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया है।

हाइब्रिड मोड़ से आशय ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों

क्राकर से कक्षाएं संचालित करने

से काम करेंगे, हालांकि प्रशासनिक सचिव और विभागीय कार्यालय में उपस्थित हों, लेकिन कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

आदेश में कहा गया है कि

शेष काम करेंगे, हालांकि प्रशासनिक सचिव और विभागीय कार्यालय में उपस्थित हों। यह निर्णय वायु गुणवत्ता से काम करेंगे, हालांकि प्रशासनिक सचिव और विभागीय कार्यालय में उपस्थित हों। यह निर्णय वायु गुणवत्ता के बाद लिया गया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को और विगड़ने से रोकें के लिए क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (प्रेप) के तहत चरण-चार की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।

निजी विद्यालयों को अगले आदेश तक जहां भी संभव हो, ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से कक्षाएं संचालित करने के लिए एक अद्वितीय सेवाएं की निर्वाचन विकास को आयोजित किया गया है। जिसमें दिल्ली-एनसीआर के बाद लिया गया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को और विगड़ने से रोकें के लिए क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (प्रेप) के तहत चरण-चार की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।

कश्मीर में बर्फबारी की संभावना

श्रीनगर, एजेंसी

उत्तर भारत में भी बढ़ी ठंड

निजी विद्यालयों को अगले आदेश तक जहां भी संभव हो, ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की कक्षाएं संचालित करने के लिए एक अद्वितीय सेवाएं की निर्वाचन विकास को आयोजित किया गया है। जिसमें दिल्ली-एनसीआर के बाद लिया गया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को और विगड़ने से रोकें के लिए क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (प्रेप) के तहत चरण-चार की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।

वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों के लिए खोला साधान कक्ष

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को कहाँ से जाएं ताकि विद्यार्थी ने अपनी विद्यालय से जाए।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों को क

